'FORM – 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Legislative Assembly of RAJASTHAN (State). from the (089) LALSOT Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

SHRI PARSADI LAL

V.P.MANDAWARI, TEHSIL-LALSOT, DIST.-DAUSA (RAJASTHAN) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Pandit Naval kishor sharma Govt PG College, Dausa Date- 22-11-2018 (SUNIL ARYA)

Returning Officer

Assembly Constituency (089) Lalsot (S.T.)

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Lalsot

Distt. – Dausa (Rajasthan)

प्रारुप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान सर्विरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(089)लालसोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री परसादी लाल

पता— ग्रा.पो. मण्डावरी, तहसील—लालसोट, जिला—दौसा (राजस्थान) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खडे किए गए उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : पं. नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा। तारीख :— 11 दिसम्बर, 2018

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (089) लालसोट (अ.ज.जा.) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट जिला— दौसा (राजस्थान)